

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 05-08-2025

### विषय सूची

- » सशस्त्र बलों में महिलाओं का समावेश एक प्राथमिकता
- » अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के 6 वर्ष पूर्ण
- » 15वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह
- » पर्यावरण, समाज और शासन (ESG)
- » भारत 2024 में विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनकर उभरेगा
- » भारत के बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन में लुप्त पहलू

### संक्षिप्त समाचार

- » भारत द्वारा सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित
- » परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित
- » रूस द्वारा मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति (INF) संधि से अपना नाम वापस
- » पैन 2.0 परियोजना
- » CISF की संख्या में वृद्धि के लिए केंद्रीय मंजूरी
- » सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण बोर्डों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की अनुमति
- » एशियाई विशालकाय कछुआ
- » राइसोटोप परियोजना
- » अग्निशोध

## सशस्त्र बलों में महिलाओं का समावेश एक प्राथमिकता


### समाचारों में

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा पर संसदीय परामर्शदात्री समिति को सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बारे में जानकारी दी गई।

### सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी

- भारतीय सशस्त्र बलों में रोजगार लिंग-निरपेक्ष है, जिसमें पुरुष और महिला सैनिकों के बीच तैनाती या कार्य स्थितियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
- तैनाती संगठनात्मक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर की जाती है।
- महिलाएं तकनीकी और गैर-तकनीकी भूमिकाओं के लिए विभिन्न प्रवेश योजनाओं के माध्यम से शामिल हो सकती हैं, और अधिकांश रक्षा प्रशिक्षण संस्थान अब महिलाओं के लिए खुले हैं।

Milestones in Women's Integration into Indian Armed Forces



### वर्तमान स्थिति और प्रगति

- रक्षा मंत्रालय (MoD) के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय वायु सेना में महिलाओं की भागीदारी 13.4% है — जो तीनों सेवाओं में सबसे अधिक है — जबकि सेना में यह 6.85% और नौसेना में 6% है।
- 2024 में सेना में कुल 1,735 महिलाएं, वायु सेना में 1,614 और नौसेना में 674 महिलाएं कार्यरत थीं।
  - 2005 में यह आंकड़े क्रमशः 767, 574 और 154 थे।
- सेना में महिलाओं के लिए 12 शाखाएं खुली हैं, जिनमें युद्धक शाखाएं भी शामिल हैं।

- नौसेना में पनडुब्बियों को छोड़कर सभी शाखाएं महिलाओं के लिए खुली हैं।
- वायु सेना की सभी शाखाएं महिलाओं के लिए खुली हैं।

### सशस्त्र बलों में महिलाओं का महत्व

- विचार और अनुभव में विविधता:** महिलाएं विविध दृष्टिकोण, रचनात्मक समाधान और विशिष्ट समस्या-समाधान शैली लाती हैं, जिससे निर्णय लेने की गुणवत्ता एवं मिशन की सफलता बढ़ती है।
- संचालन क्षमता में वृद्धि:** आधुनिक युद्ध में तकनीक, खुफिया, संचार एवं लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है, जिनमें महिलाएं महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जिससे सशस्त्र बलों की तत्परता और अनुकूलन क्षमता बढ़ती है।
- लिंग-निरपेक्ष प्रतिभा पूल:** महिलाओं को शामिल करने से उपलब्ध प्रतिभा पूल का विस्तार होता है, जिससे सैन्य बलों को भर्ती की आवश्यकताओं को पूरा करने और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- प्रेरणा और सामाजिक परिवर्तन:** भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग का नेतृत्व किया, और वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छुक महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं।
- संघर्ष क्षमता और मनोबल:** महिलाओं की उपस्थिति सशस्त्र बलों के समग्र मनोबल, अनुशासन और संघर्ष क्षमता को बढ़ाती है।
  - चिकित्सा कोर से लेकर पायलट और कमांडिंग ऑफिसर तक की भूमिकाओं में उनकी उत्कृष्ट सेवा उनकी क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- वैश्विक मानकों की पूर्ति:** महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भारत की सेनाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाती है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में इसकी साख को सुदृढ़ करती है और कूटनीतिक जुड़ाव को बढ़ाती है।

## वर्तमान चुनौतियाँ


- दूरस्थ तैनाती स्थलों पर कभी-कभी लिंग-संवेदनशील सुविधाओं की कमी पूर्ण एकीकरण में बाधा बनती है।
- नेतृत्व शैली को लेकर लिंग आधारित धारणाएं महिला कमांडिंग अधिकारियों की क्षमता को कम आंकती हैं।
- लॉजिस्टिक और सांस्कृतिक कारणों से महिलाएं अभी भी अग्रिम युद्धक भूमिकाओं से वंचित हैं।

Source :TH

## अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के 6 वर्ष पूर्ण

### संदर्भ

- 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के 6 वर्ष पूर्ण हुए।



## अनुच्छेद 370 क्या था?

- अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग XXI के अंतर्गत एक अस्थायी प्रावधान के रूप में तैयार किया गया था और यह 1952 में प्रभावी हुआ।
- यह जम्मू और कश्मीर राज्य को अपना संविधान, झंडा रखने और वित्त, रक्षा, विदेश मामलों एवं संचार को छोड़कर सभी मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देता था।
- इसका तात्पर्य था कि राज्य को अपने आंतरिक मामलों पर काफी नियंत्रण प्राप्त था।
- **अनुच्छेद 35A:** यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के आदेश — “संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954” — के माध्यम से जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया था।

## अनुच्छेद 35A की प्रमुख प्रावधान:

- ▲ राज्य को स्थायी निवासियों को भूमि स्वामित्व, सार्वजनिक रोजगारों और शिक्षा छात्रवृत्तियों जैसे क्षेत्रों में विशेष अधिकार देने की अनुमति देता था।
- ▲ गैर-निवासियों को स्थायी रूप से बसने, संपत्ति खरीदने या राज्य के लाभों का उपयोग करने से वंचित करता था।
- ▲ इसमें एक भेदभावपूर्ण प्रावधान था: यदि कोई महिला निवासी राज्य के बाहर के व्यक्ति से विवाह करती, तो उसकी संपत्ति के अधिकार समाप्त हो सकते थे, और यही उसके बच्चों पर भी लागू होता था।
- ▲ यह प्रावधान निर्धारित करता था कि अनुच्छेद 35A के अंतर्गत आने वाले राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम को भारतीय संविधान या किसी अन्य कानून का उल्लंघन कहकर चुनौती नहीं दी जा सकती।

## अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आवश्यकता क्यों थी?

- **एकीकरण और समानता:** अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ विलय करने से रोकता था, जबकि यह विलय का आधार माना जाता था।
  - ▲ इसका निरसन राज्य को भारत के अन्य राज्यों के समान संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में लाने के लिए किया गया।
- **सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता:** यह क्षेत्र दशकों से आतंकवाद और अस्थिरता से ग्रस्त रहा है, जो प्रायः सीमा पार प्रभावों के कारण होता है।
  - ▲ इसका निरसन राष्ट्रीय संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम था।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास:** अनुच्छेद 35A के कारण गैर-निवासी जम्मू-कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकते थे या बस नहीं सकते थे, जिससे निवेश और विकास सीमित था।
- **संवैधानिक और कानूनी आधार:** यह प्रावधान शुरू से ही अस्थायी था और जम्मू-कश्मीर के लोगों के व्यापक हित में इसे हटाना आवश्यक था।



- **भेदभावपूर्ण:** राज्य की बेटियां यदि राज्य के बाहर विवाह करती थीं तो उनके संपत्ति अधिकार समाप्त हो जाते थे।
  - ▲ यह महिलाओं और उनके बच्चों के लिए भेदभावपूर्ण था।
- **73वां और 74वां संविधान संशोधन:** अनुच्छेद 370 के कारण इन संशोधनों को जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता था।
  - ▲ पंचायत और नगर पालिका चुनाव नहीं हो सकते थे।

### जम्मू-कश्मीर की आगे की राह

- अनुच्छेद 370 का निरसन जम्मू-कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों के साथ पूर्ण संवैधानिक एकीकरण, बेहतर शासन, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने, कानूनी भेदभाव को समाप्त करने और क्षेत्र में विकास एवं शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।
- जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा पुनर्स्थापित करने की मांग प्रमुख बनी हुई है।
- सरकार ने उचित समय पर इसे बहाल करने का वादा किया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाएं राज्य का दर्जा शीघ्र पुनर्स्थापित करने की मांग करती हैं और संघीय सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देती हैं। अ
- अनुच्छेद 370 का निरसन भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसका सम्पूर्ण प्रभाव अभी भी जम्मू-कश्मीर में सामने आ रहा है।

Source: BS

## 15वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह

### संदर्भ

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 15वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित किया।

### परिचय

- भारतीय अंगदान दिवस का 15वां संस्करण वर्षभर चलने वाले राष्ट्रीय अभियान “अंगदान – जीवन संजीवनी अभियान” के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य देशभर में अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देना है।

- यह अभियान जनभागीदारी बढ़ाने, भ्रातियों एवं गलतफहमियों को दूर करने, और नागरिकों को अंगदान की प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रेरित करने पर बल देता है।

### अंग प्रत्यारोपण और दान

- अंग प्रत्यारोपण/दान एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से अंग, ऊतक या कोशिकाओं के समूह को निकालकर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है।
  - ▲ एक व्यक्ति हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे, अग्न्याशय और आंतों का दान करके 8 लोगों तक की जीवन सुरक्षित कर सकता है।
- भारत में अंग प्रत्यारोपण की दर पश्चिमी देशों की तुलना में सबसे कम है।
  - ▲ भारत की अंगदान दर जनसंख्या के अनुपात में 1% से भी कम है।
  - ▲ भारत अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
- 2023 में, तीन लाख से अधिक नागरिकों ने राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के माध्यम से अंगदान की प्रतिज्ञा ली।

### भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कानून और नियम

- **मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994:** यह भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण से संबंधित प्रमुख कानून है, जिसका उद्देश्य चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों की निकासी, भंडारण एवं प्रत्यारोपण को विनियमित करना और अंगों के व्यापार को रोकना है।
- **मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011:** यह अधिनियम अंगों के अदला-बदली की अनुमति देता है और दाता सूची में दादा-दादी और पोते-पोतियों को शामिल करके दाता पूल को विस्तृत करता है।
- **मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम (THOT), 2014:** इसमें अंगदान में बाधा डालने वाले पहलुओं को दूर करने और नियमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई प्रावधान हैं।

### राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)

- यह एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- कार्य:** NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग पूरे भारत में अंग एवं ऊतक की प्राप्ति और वितरण के समन्वय और नेटवर्किंग की गतिविधियों के लिए शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है।
  - यह अंग और ऊतक दान और प्रत्यारोपण का पंजीकरण भी करता है।

### चिंताएं

- आपूर्ति और मांग में अंतर:** सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष लगभग दो लाख लोग यकृत रोग से, पचास हजार हृदय संबंधी बीमारियों से, और 1.5 लाख से अधिक लोग गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता से मर जाते हैं, जबकि केवल लगभग 5,000 को ही प्रत्यारोपण मिल पाता है।
  - ये आंकड़े उस प्रणालीगत जीवन हानि को दर्शाते हैं जिसे रोका जा सकता था।
- प्रशासनिक कमियां:** कई संभावित दाताओं को सहमति की कमी, प्रमाणन में देरी या चिकित्सा समन्वय की अनुपस्थिति के कारण खो दिया जाता है।
- भ्रांतियां:** अंगदान को लेकर फैली गलतफहमियां लोगों को प्रतिज्ञा लेने या सहमति देने से रोकती हैं।
  - कुछ लोग मानते हैं कि अंगदान से शरीर विकृत हो जाएगा या पारंपरिक अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा।
- उच्च लागत की भ्रांति:** एक अन्य सामान्य भ्रांति यह है कि अंगदान में खर्च आता है। वास्तव में, दाताओं या उनके परिवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

### सुझाव

- अंगदान को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
- पोलियो उन्मूलन या रक्तदान जैसे मीडिया अभियानों की तर्ज पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि सामाजिक संकोच को तोड़ा जा सके।

- अस्पतालों में प्रशिक्षित प्रत्यारोपण समन्वयकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए जो संवेदनशीलता और प्रभावी ढंग से परिवारों से संवाद कर सकें।

### अंगदान से संबंधित तथ्य

- प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है ताकि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- भारतीय अंगदान दिवस पहले प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2023 से इसे 3 अगस्त को मनाया जा रहा है ताकि भारत में 3 अगस्त 1994 को हुए प्रथम सफल मृतक हृदय प्रत्यारोपण की स्मृति को सम्मानित किया जा सके।
- NOTTO ने जुलाई को अंगदान का माह घोषित किया है।

Source: PIB

## पर्यावरण, समाज और शासन (ESG)

### समाचारों में

- एक संसदीय समिति ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) से पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मुद्दों के लिए एक समर्पित निगरानी निकाय बनाने का आग्रह किया है।

### पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) क्या है?

- यह एक ढांचा है जिसका उपयोग किसी कंपनी के गैर-वित्तीय कारकों पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह निवेशकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए एक प्रमुख विचार बन गया है जो किसी व्यवसाय के समाज और पर्यावरण पर प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।

### Environment, Social, and Governance Reporting



### संसदीय समिति की प्रमुख सिफारिशें

- **समर्पित ESG निगरानी निकाय की स्थापना:** समिति ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) से ESG के लिए एक विशेष निगरानी प्राधिकरण बनाने का आग्रह किया।
  - ✦ इस निकाय में फॉरेंसिक विशेषज्ञता होनी चाहिए ताकि यह ग्रीनवॉशिंग का सक्रिय रूप से पता लगा सके, जांच कर सके और उसे रोक सके, साथ ही क्षेत्र-विशिष्ट ESG दिशानिर्देश विकसित कर सके।
- **कानूनी अधिकार को सुदृढ़ करना:** समिति ने तर्क दिया कि कंपनियों अधिनियम, 2013 (विशेष रूप से धारा 166(2)) के अंतर्गत वर्तमान प्रावधान बहुत सामान्य हैं और ESG प्रकटीकरण एवं कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुदृढ़ ढांचे की कमी है।
- **MSME समर्थन का विकास:** प्रस्तावित निगरानी प्राधिकरण को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ESG अनुपालन के लिए लक्षित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, ताकि उनकी विशिष्ट क्षमता संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सके।

### ESG से संबंधित अन्य पहलें

- **कंपनियों अधिनियम, 2013:** कुछ कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों पर व्यय करने का निर्देश देता है।
- **व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (BRSR):** SEBI ने शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए BRSR शुरू किया है, जिसमें ESG मापदंडों का प्रकटीकरण अनिवार्य है।
- **अंतरराष्ट्रीय समन्वय:** भारत की नीति दिशा वैश्विक ESG प्रवृत्तियों के जवाब में विकसित हो रही है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ एवं अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड (ISSB) जैसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अभिसरण प्राप्त करना है।

Source: PIB

### भारत 2024 में विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनकर उभरेगा

#### संदर्भ

- अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) द्वारा जारी नवीनतम वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स (WATS) के अनुसार, भारत 2024 में 211 मिलियन यात्रियों को उड़ान सेवा प्रदान करते हुए विश्व का पाँचवां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है।

#### रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- IATA के अनुसार, भारत ने 2023 की तुलना में 11.1% की वृद्धि दर्ज की, और जापान (205 मिलियन यात्री) को पीछे छोड़ दिया।
- अमेरिका 876 मिलियन यात्रियों के साथ 2024 में विश्व का सबसे बड़ा विमानन बाजार बना रहा, जिसमें 5.2% वार्षिक वृद्धि हुई।
- चीन 741 मिलियन यात्रियों के साथ दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहा, जिसमें 18.7% की वृद्धि हुई।
- ब्रिटेन तीसरे स्थान पर रहा (261 मिलियन यात्री), जबकि स्पेन चौथे स्थान पर रहा (241 मिलियन यात्री)।
  - ✦ आंकड़ों में प्रत्येक देश में आने-जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों को शामिल किया गया है।
- **एयरपोर्ट पेयर रैंकिंग:**
  - ✦ एशिया-प्रशांत क्षेत्र ने सबसे व्यस्त एयरपोर्ट-पेयर रैंकिंग में दबदबा बनाया।
  - ✦ जेजू-सियोल (दक्षिण कोरिया) विश्व का सबसे व्यस्त मार्ग रहा, जिसमें 13.2 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं।
  - ✦ मुंबई-दिल्ली मार्ग वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर रहा, जिसमें 5.9 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं।

#### विमानन परिवर्तन के प्रमुख स्तंभ

- **प्रणालीगत बदलाव के लिए विधायी सुधार:**
  - ✦ **विमान वस्तुओं में हितों की सुरक्षा विधेयक, 2025:** भारत की विमान पट्टे प्रणाली को केप टाउन कन्वेंशन के अनुरूप बनाता है, जिससे पट्टे की लागत कम होती है और निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।

- ▲ **भारतीय वायुवहन अधिनियम, 2024:** यह औपनिवेशिक युग के एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 से प्रतिस्थापित करता है। यह 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करता है, लाइसेंसिंग को सरल बनाता है और वैश्विक मानकों जैसे शिकागो कन्वेंशन एवं ICAO नियमों के अनुरूप बनाता है।
- **अवसंरचना विस्तार और क्षमता निर्माण:**
- **टर्मिनल उन्नयन:** वाराणसी, आगरा, दरभंगा और बागडोगरा में नए टर्मिनलों की आधारशिला रखी गई।
- **ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स:** 2014 से अब तक 12 हवाई अड्डे चालू किए गए (जैसे शिर्डी, मोपा, शिवमोगा); नवी मुंबई और नोएडा (जेवर) 2025-26 की शुरुआत तक चालू होंगे।
- **CAPEX निवेश:** राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के तहत ₹91,000 करोड़ आवंटित; नवंबर 2024 तक ₹82,600 करोड़ व्यय किए गए।



### विमानन क्षेत्र को समर्थन देने वाली सरकारी पहलें

- **उड़ान योजना:** क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देती है और आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाती है।
- **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP):** MRO, हवाई अड्डा विकास और विमान पट्टे को बढ़ावा देती है।
- **हरित हवाई अड्डा नीति:** नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, अपशिष्ट में कमी और कार्बन-न्यूट्रल लक्ष्य को प्रोत्साहित करती है।

- **नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास और वर्तमान मेट्रो व गैर-मेट्रो हवाई अड्डों का विस्तार।**
- **विमान पट्टे और वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र:** GIFT सिटी को वैश्विक विमान पट्टे केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

### चुनौतियाँ

- **अवसंरचना बाधाएं:** विभिन्न प्रमुख हवाई अड्डे अपनी क्षमता पर या उसके पास कार्य कर रहे हैं, जबकि टियर-2 और टियर-3 शहरों में अवसंरचना अभी भी अपर्याप्त है।
- **विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) की उच्च लागत:** भारत में विमानन ईंधन पर भारी कर लगता है, जिससे एयरलाइन संचालन वैश्विक मानकों की तुलना में महंगा हो जाता है।
- **नियामक जटिलताएं:** कई स्तरों की नियमन प्रणाली और केंद्र व राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय की कमी विमानन क्षेत्र में व्यापार करने में बाधा बनती है।
- **पर्यावरणीय चिंताएं:** हवाई यातायात के तीव्र विस्तार से कार्बन उत्सर्जन, ध्वनि प्रदूषण और पारिस्थितिक प्रभाव की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे हरित विकल्पों की आवश्यकता होती है।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** प्रशिक्षित पायलटों, इंजीनियरों और विमानन पेशेवरों की उपलब्धता में बढ़ती खाई है।

### आगे की राह

- **ईंधन मूल्य निर्धारण सुधार:** राज्यों में ATF करों को तर्कसंगत बनाया जाए ताकि हवाई यात्रा किफायती हो सके।
- **सततता पर ध्यान:** सतत विमानन ईंधन (SAF), विद्युत विमान तकनीक और कार्बन ऑफसेटिंग तंत्र को प्रोत्साहित किया जाए।
- **कौशल और प्रशिक्षण:** राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के माध्यम से विमानन कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।

- **अंतरराष्ट्रीय हब रणनीति:** भारत के चुनिंदा हवाई अड्डों को दुबई, दोहा और सिंगापुर जैसे पूर्ण सेवा अंतरराष्ट्रीय हब के रूप में विकसित किया जाए।

Source: AIR

## भारत के बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन में लुप्त पहलू

### संदर्भ

- भारत जहां हरित गतिशीलता और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं जीवन-चक्र के अंत वाली बैटरियों के प्रबंधन के लिए अवसंरचना एवं नीतिगत ढांचा अभी भी सटीक नहीं है और अपर्याप्त है।

### भारत में ईवी और ऊर्जा भंडारण का उभार

- भारत में डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती स्वीकृति के चलते तीव्र विद्युतीकरण हो रहा है।
- लिथियम बैटरी की मांग 2023 में 4 GWh से बढ़कर 2035 तक लगभग 139 GWh तक पहुँचने की संभावना है, जिसमें EVs और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) दोनों की भूमिका है।

### उभरता हुआ बैटरी अपशिष्ट संकट

- सिर्फ लिथियम बैटरियों ने 2022 में भारत के 1.6 मिलियन टन ई-वेस्ट में से 700,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया, और 2030 तक 2 मिलियन टन से अधिक लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना है।
- यदि इन बैटरियों का सही तरीके से पुनर्चक्रण या निपटान नहीं किया गया, तो ये गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं:
  - ▲ **विषैले रिसाव:** लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे भारी धातु मृदा और भूजल को प्रदूषित कर सकते हैं।
  - ▲ **आग का खतरा:** गलत तरीके से रखी गई बैटरियाँ थर्मल रनअवे और विस्फोट की शिकार हो सकती हैं।

- ▲ **वायु प्रदूषण:** अनौपचारिक पुनर्चक्रण में जलाने या एसिड लीचिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिससे हानिकारक धुएं निकलते हैं।

- बैटरी अपशिष्ट का बड़ा हिस्सा अनियमित अनौपचारिक क्षेत्रों में पहुँचता है, जहाँ श्रमिकों के पास सुरक्षात्मक उपकरण नहीं होते और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की कमी होती है।

### संबंधित प्रयास और पहलें

- **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (BWMR), 2022:** यह बैटरी निर्माताओं के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) को अनिवार्य करता है।
  - ▲ इसमें सभी प्रकार की बैटरियों—लिथियम-आयन और लेड-एसिड सहित—के संग्रहण, पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग को शामिल किया गया है।
- **विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR):** बैटरी उत्पादकों को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से सुरक्षित संग्रहण और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना होता है।
  - ▲ पुनर्चक्रणकर्ता EPR प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं जो पुनर्चक्रण प्रयास की पुष्टि करते हैं।
  - ▲ इस ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है **EPR फ्लोर प्राइस**—प्रत्येक किलोग्राम अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए उत्पादकों को पुनर्चक्रणकर्ताओं को भुगतान करने की न्यूनतम राशि।
- **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS):** ग्रिड को स्थिर करने और नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहीत करने के लिए 30 GWh BESS हेतु ₹5,400 करोड़ स्वीकृति।
  - ▲ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए BESS को सौर परियोजनाओं के साथ सह-स्थित करने की सिफारिश की है।
- **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण कार्यक्रम:** घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹18,100 करोड़ की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना।
  - ▲ यह लिथियम-आयन और वैकल्पिक रसायनों पर केंद्रित है ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके।



- **राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण मंच (NDAP):** बैटरी उत्पादन, उपयोग और पुनर्चक्रण डेटा को एकीकृत कर पारदर्शिता एवं नीति निर्माण को बेहतर बनाता है।
  - ▲ यह EPR अनुपालन की निगरानी और नीति निर्माण में सहायता करता है।

### नीतिगत अंतर और चुनौतियाँ

- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2022) के बावजूद कई अंतर बने हुए हैं:
  - ▲ विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) के प्रावधानों का कमजोर क्रियान्वयन।
  - ▲ उपभोक्ताओं से प्रयुक्त बैटरियों को एकत्र करने के लिए सीमित रिवर्स लॉजिस्टिक्स।
  - ▲ शहरी क्षेत्रों के बाहर अपर्याप्त पुनर्चक्रण अवसंरचना।
  - ▲ सुरक्षित निपटान के बारे में उपभोक्ता जागरूकता की कमी।
  - ▲ खंडित नियम जो लेड-एसिड और निकल-कैडमियम जैसी गैर-लिथियम रसायनों को नजरअंदाज करते हैं।
- **अवास्तविक EPR फ्लोर प्राइस:** वर्तमान फ्लोर प्राइस बहुत कम है, जिससे औपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए प्रभावी संचालन आर्थिक रूप से असंभव हो जाता है।
- जब पुनर्चक्रणकर्ताओं को पर्याप्त भुगतान नहीं मिलता, तो अनौपचारिक ऑपरेटरों के लिए रास्ता खुलता है जो झूठे प्रमाणपत्र जारी करते हैं या विषैले अपशिष्ट को अवैध रूप से फेंकते हैं—जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में देखा गया।
- **आर्थिक दांव:** अप्रभावी पुनर्चक्रण केवल पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाता, बल्कि इसके गंभीर वित्तीय प्रभाव भी हैं।
  - ▲ 2030 तक भारत बैटरी सामग्री की पुनर्प्राप्ति न होने के कारण \$1 बिलियन से अधिक का विदेशी मुद्रा हानि का सामना कर सकता है।
- **उपभोक्ताओं पर कोई लागत भार नहीं:** EPR फ्लोर प्राइस बढ़ाने से अंतिम उपयोगकर्ता की कीमतें जरूरी नहीं बढ़तीं।

- ▲ निर्माताओं ने ये लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचाए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि OEMs उच्च पुनर्चक्रण लागत को वहन कर सकते हैं, भले ही वैश्विक धातु कीमतों में गिरावट आई हो।

### नीतिगत सिफारिशें

- **EPR फ्लोर प्राइस का पुनः निर्धारण:** संग्रहण से लेकर सामग्री पुनर्प्राप्ति तक की पूरी लागत को कवर करने वाला एक उचित, बाजार-संरेखित फ्लोर प्राइस तय किया जाए, जो बाजार के परिपक्व होने के साथ समायोजित हो।
- **प्रवर्तन को सुदृढ़ करें:** धोखाधड़ी वाले प्रमाणपत्रों को रोकने के लिए ऑडिट लागू करें।
  - ▲ प्रमाणपत्र जारी करने और ट्रेकिंग को डिजिटल करें।
  - ▲ अनुपालन न करने पर सख्त दंड लागू करें।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण:** अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित करें।
  - ▲ नियामक और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करें।
  - ▲ खतरनाक प्रथाओं को कम करते हुए पुनर्चक्रण क्षमता का विस्तार करें।

### वैश्विक प्रथाओं से सीख

- अंतरराष्ट्रीय मानक भारत की मूल्य निर्धारण खाई को उजागर करते हैं:
  - ▲ UK में EV बैटरियों के लिए EPR फ्लोर प्राइस: लगभग ₹600/किलोग्राम।
  - ▲ भारत में प्रस्तावित फ्लोर प्राइस: इसका एक चौथाई से भी कम।
- क्रय शक्ति समायोजन के बाद भी भारत की मूल्य निर्धारण नीति सतत संचालन के लिए अनुपयुक्त बनी हुई है।
  - ▲ एक वैश्विक स्तर पर तुलनीय मूल्य जो वास्तविक लागत को दर्शाता है, एक सुदृढ़ बैटरी पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक है।
- दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने सुदृढ़ बैटरी प्रबंधन कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनसे भारत सीख सकता है।

Source: TH

## संक्षिप्त समाचार

### भारत द्वारा सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित

#### संदर्भ

- भारत ने “प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ” शीर्षक वाला एक डोजियर यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को 2025–26 नामांकन चक्र के लिए प्रस्तुत किया है।

#### सारनाथ के बारे में

- स्थान:** यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट स्थित है।
- ऐतिहासिक महत्व:** सारनाथ वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे **धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त** (धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र) के नाम से जाना जाता है। यह घटना बौद्ध संघ (संन्यासी समुदाय) की शुरुआत को चिह्नित करती है।
- सांस्कृतिक महत्व:** सारनाथ बोधगया, लुंबिनी और कुशीनगर के साथ चार सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है।
  - यह बौद्ध शिक्षा और प्रचार का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जो प्राचीन अंतरराष्ट्रीय तीर्थ मार्गों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से जुड़ा हुआ है।
  - यह मौर्य, कुषाण और गुप्त वास्तुशैली के समन्वय को दर्शाता है।

#### सारनाथ के प्रमुख स्मारक और संरचनाएँ

- धामेक स्तूप:** 500 ईस्वी में बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में निर्मित।
- अशोक स्तंभ:** सम्राट अशोक द्वारा स्थापित, जिस पर एक अभिलेख अंकित है; मूल रूप से सिंह शीर्षक से अलंकृत था, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है।
- चौखंडी स्तूप:** वह स्थान जहाँ बुद्ध ने अपने प्रथम शिष्यों से भेंट की थी, उसकी स्मृति में निर्मित।
- मूलगंध कुटी विहार:** महाबोधि सोसाइटी द्वारा निर्मित आधुनिक मंदिर, जिसमें बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाली भित्ति चित्र हैं।

- सारनाथ पुरातात्विक संग्रहालय:** महत्वपूर्ण पुरावशेषों का संग्रह करता है, जिसमें अशोक का मूल सिंह शीर्ष भी शामिल है।

Source: DC

### परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित

#### संदर्भ

- प्रधानमंत्री की प्रमुख पहल ‘परीक्षा पे चर्चा’ (PPC) ने “एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण” का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2025 में इसके 8वें संस्करण के दौरान MyGov मंच पर 3.53 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए।

#### परीक्षा पे चर्चा (PPC) के बारे में

- 2018 में शुरू किया गया, PPC एक वार्षिक कार्यक्रम है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ वार्ता करते हैं।
- इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के नागरिक सहभागिता मंच, MyGov के सहयोग से किया जाता है।
- यह कार्यक्रम ‘एग्जाम वॉरियर्स’ पहल के अंतर्गत व्यापक आंदोलन का भाग है, जिसका उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है।

Source: AIR

### रूस द्वारा मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति (INF) संधि से अपना नाम वापस

#### समाचार में

- रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति (INF) संधि से आधिकारिक रूप से स्वयं को अलग कर लिया है।

#### मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि (INF)

- INF संधि पर दिसंबर 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए थे तथा 1 जून 1988 को लागू हुई थी।

- इसके अंतर्गत दोनों देशों को 1 जून 1991 की कार्यान्वयन समय सीमा तक अपनी भूमि से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को समाप्त करना था, जो 500 से 5,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थीं।
- यह संधि दशकों तक यूरो-अटलांटिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रही और इसने 1980 के दशक में यूरोप के लिए खतरा बने परमाणु हथियारों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त कर दिया।

### क्या आप जानते हैं?

- रूस ने विशेष रूप से फिलीपींस में अमेरिका की टाइफ़ोन मिसाइल प्रणाली की तैनाती और ऑस्ट्रेलिया में मिसाइल अभ्यास को अस्थिरता उत्पन्न करने वाले कदम बताया।
- अमेरिका 2019 में ही रूस पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस संधि से अलग हो चुका था, जिसका रूस ने खंडन करते हुए दावा किया था कि अमेरिका प्रतिबंधित मिसाइल प्रणालियाँ विकसित कर रहा है।
- यह नवीनतम कदम रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है, विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा दो परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने की घोषणा के पश्चात्।

Source : Air

## पैन 2.0 परियोजना

### समाचार

- आयकर विभाग ने पैन 2.0 परियोजना के लिए मध्यम आकार की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी LTIMindtree लिमिटेड का चयन किया है।

### पैन 2.0 परियोजना के बारे में

- “पैन 2.0 परियोजना” भारतीय आयकर विभाग द्वारा एक प्रमुख ई-गवर्नेंस पहल है, जिसे स्थायी खाता संख्या (PAN) प्रणाली के आधुनिकीकरण और संवर्धन के लिए शुरू किया गया है। इस परियोजना को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 25 नवंबर, 2024 को मंजूरी दी थी।

- इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य सभी पैन और कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या से संबंधित सेवाओं को एकीकृत करना है—जो वर्तमान में ई-फाइलिंग पोर्टल, UTITSL और प्रोटीन ई-गवर्नेंस जैसे विभिन्न पोर्टलों पर उपलब्ध हैं—एक एकल, एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।
- पैन 2.0 को नए पैन आवंटन, अद्यतन और सुधार सहित सभी सेवाओं के लिए पूरी तरह से कागज रहित, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- यह परियोजना संवेदनशील करदाता जानकारी की सुरक्षा के लिए “पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम” बनाएगी और पैन कार्ड पर गतिशील क्यूआर कोड सहित उन्नत सुरक्षा उपाय लागू करेगी।

Source: LM

## CISF की संख्या में वृद्धि के लिए केंद्रीय मंजूरी

### समाचार में

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भविष्य के औद्योगिक केंद्रों की संभावना को देखते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के लिए 58,000 अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है।

### केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

- यह CISF अधिनियम, 1968 के अंतर्गत स्थापित संघ का एक सशस्त्र बल है।
  - ▲ इसका गठन 1969 में 3,129 कर्मियों के साथ हुआ था और 1 अप्रैल, 2025 तक इसके कर्मियों की संख्या बढ़कर 1.88 लाख हो गई है।
- CISF में 12 रिजर्व बटालियन और 8 प्रशिक्षण संस्थान जैसी 74 अन्य इकाइयाँ शामिल हैं।
- CISF एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास एक अनुकूलित और समर्पित अग्निशमन विंग है।

**अधिकार**

- CISF का कार्य परिसर, कर्मचारियों, संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित है।
- यह अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, बंदरगाहों, ऐतिहासिक स्मारकों एवं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली, कोयला, इस्पात और खनन जैसे क्षेत्रों सहित रणनीतिक तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा करता है।
- यह कुछ निजी क्षेत्र की इकाइयों, दिल्ली में प्रमुख सरकारी भवनों और Z+, Z, X और Y श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले वीआईपी व्यक्तियों की भी सुरक्षा करता है।

**Source :TH**

## सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण बोर्डों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की अनुमति

**समाचार में**

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं।

**मामले की पृष्ठभूमि**

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि उसे जल अधिनियम, 1974 की धारा 33A और वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31A के अंतर्गत क्षतिपूर्ति लगाने का अधिकार नहीं है।
  - ▲ उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी क्षतिपूर्ति दंड के समान है, और इसलिए इसे केवल संबंधित अधिनियमों के अध्याय VII एवं VI में वर्णित विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से ही लागू किया जा सकता है।

**सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियाँ**

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल अधिनियम की धारा 33A और वायु अधिनियम की धारा 31A के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और प्रदूषकों से बैंक गारंटी मांगने का कानूनी अधिकार है, जो एक निवारक (पूर्व-प्रभावी) उपाय है।

- न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ये कार्यवाही दंडात्मक नहीं बल्कि उपचारात्मक हैं, और इन्हें निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गैर-मनमाने ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी क्षतिपूर्ति उन दंडों से भिन्न है जैसे जुर्माना या कारावास, जो अधिनियमों के अन्य अध्यायों में वर्णित हैं।
- इस निर्णय में “प्रदूषक भुगतान करे” सिद्धांत को अपनाया गया, जिसमें कहा गया कि क्षतिपूर्ति लगाने के लिए वास्तविक पर्यावरणीय क्षति आवश्यक नहीं है—हानि की संभावना ही पर्याप्त है।

**केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)**


- यह एक वैधानिक संगठन है, जिसकी स्थापना सितंबर 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत की गई थी।
- इसके अतिरिक्त, CPCB को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत अधिकार और कार्य सौंपे गए।
- यह पर्यावरण और वन मंत्रालय को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है।
- CPCB का प्रमुख कार्य विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों में जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और न्यूनीकरण द्वारा नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना है, तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या न्यूनीकरण करना है।
- CPCB सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य बोर्ड के रूप में कार्य करता है तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के संबंध में अपने सभी अधिकार और कार्य दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को सौंप चुका है।

**Source :TH****एशियाई विशालकाय कछुआ****संदर्भ**

- एशियाई विशालकाय कछुआ, मुख्य भूमि एशिया का सबसे बड़ा कछुआ, नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में पुनः लाया गया है।



- एशियाई विशालकाय कछुओं को जंगलों का छोटा हाथी भी कहा जाता है।
- ये वन भूमि को स्वच्छ रखने के लिए सफाई करने के अतिरिक्त, बीज प्रसार और वन पुनर्जनन में भी सहायता करते हैं।
- **आवास:** उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वन।
- **वितरण:** पूर्वोत्तर भारत (विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम) में पाया जाता है।
  - ▲ म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है।



- **खतरे:**
  - ▲ आवास विनाश;
  - ▲ स्थानीय उपभोग के लिए संग्रहण;
  - ▲ पालतू और खाद्य व्यापार के लिए संग्रहण।
- **संरक्षण प्रयास:**
  - ▲ बंदी प्रजनन और आश्वासन बस्तियाँ;
  - ▲ पुनर्स्थापन प्रयास;
  - ▲ क्षेत्र सर्वेक्षण।
- **IUCN स्थिति:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त।

Source: TH

## राइसोटोप परियोजना

### संदर्भ

- दक्षिण अफ्रीका की एक विश्वविद्यालय ने एक अद्वितीय प्रकार से एक एंटी-पॉचिंग अभियान शुरू किया – गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी समस्थानिक (रेडियोआइसोटोप्स) का इंजेक्शन देकर।

### परिचय

- **राइजोटोप प्रोजेक्ट:** विटवाटरसरैंड विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सहयोग से राइजोटोप प्रोजेक्ट औपचारिक रूप से शुरू किया गया।
  - ▲ पांच गैंडों को दक्षिण अफ्रीका के वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिज़र्व में रेडियोधर्मी समस्थानिक इंजेक्शन दिए गए।
- **आवश्यकता :** दक्षिण अफ्रीका, जो विश्व की सबसे बड़ी गैंडे की जनसंख्या का आवास है, ने विगत दशक में 10,000 से अधिक गैंडों को शिकारियों के हाथों खो दिया।
- **विधि :** रेडियोधर्मी समस्थानिक या रेडियोआइसोटोप्स किसी तत्व का अस्थिर रूप होता है जो विकिरण उत्सर्जित करता है ताकि वह अधिक स्थिर रूप में परिवर्तित हो सके।
  - ▲ यह विकिरण ट्रेस किया जा सकता है और सामान्यतः जिस पदार्थ पर यह पड़ता है उसमें परिवर्तन करता है।
  - ▲ गैंडे के सींगों को एक गैर-आक्रामक विधि से कम मात्रा के रेडियोधर्मी समस्थानिक से टैग किया जाता है, जिससे उन्हें सीमा, बंदरगाह और हवाई अड्डों पर रेडिएशन मॉनिटर्स द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है।
- **महत्त्व:** यह विधि गैंडों के लिए हानिरहित है और सीमा शुल्क एजेंटों को तस्करी किए गए सींगों का पता लगाने में सक्षम बनाती है।

Source: IE

## अग्निशोध

### संदर्भ

- भारतीय सेना ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के सहयोग 'अग्निशोध' – भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ (IARC) की स्थापना IIT मद्रास परिसर में की है।

### परिचय

- यह पहल भारतीय सेना के व्यापक परिवर्तन ढांचे का भाग है, जो सेना प्रमुख (COAS) द्वारा प्रस्तुत परिवर्तन के पाँच स्तंभों द्वारा निर्देशित है।
  - परिवर्तन के पाँच स्तंभों में तकनीकी समावेशन, संरचनात्मक परिवर्तन, मानव संसाधन विकास और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना शामिल है।

- ‘अग्निशोध’ विशेष रूप से इन स्तंभों में से एक – आधुनिकीकरण और तकनीकी समावेशन – को आगे बढ़ाता है।

- नया अनुसंधान केंद्र IIT मद्रास रिसर्च पार्क और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (AMTDC) जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करेगा, जिसका उद्देश्य प्रयोगशाला स्तर की नवाचारों को तैनाती योग्य तकनीकों में बदलना है।
- यह सैन्य कर्मियों को उभरते क्षेत्रों में कौशल विकसित करने में भी सहायता करेगा, जिनमें एडिटिव मैनुफैक्चरिंग, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, वायरलेस संचार और मानव रहित हवाई प्रणालियाँ शामिल हैं।

**Source: AIR**

